

शुद्ध वर्तमान मूल्य (नेट प्रजेन्ट वैल्यू) हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

भारत सरकार द्वारा निर्गत शासन आदेश संख्या F.No.5-3/2007-FC Dated 05-02-2009 द्वारा भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (नेट प्रजेन्ट वैल्यू) से पूर्ण छूट दी गयी है जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.03.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार प्रभावी रहेगी, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या भारत सरकार या माननीय न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण किया जायेगा।

24
उप दन संरक्षक
जालीन सांख्यिक प्रमाण
पत्र (जालीन)

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ